

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन,
17, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282 फ़ैक्स- 0755-2555162,
E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website:ceomadhyapradesh.nic.in

क्र. 026/2008/चार/ 6072

भोपाल, दिनांक 29/8/08

प्रति,

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त, (म.प्र.)

विषय:—मतदान के समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान दलों के लिये निर्देश ।

उपरोक्त विषयांतर्गत आयोग के पत्र क्रमांक 464/INST/2008/EPS दिनांक 23.7.2008 की छाया प्रति संलग्न है। आयोग द्वारा जारी निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लिया जाय। इसके साथ ही आगामी विधान सभा/लोक सभा आम चुनाव एवं उप चुनाव में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
संलग्न —उपरोक्तानुसार ।

(जे.सी. भट्ट)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
वास्ते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश

पृ. क्र. 026/2008/चार/ 6073

भोपाल, दिनांक 29/8/08

प्रतिलिपि:— समस्त संभागायुक्त, म.प्र. को सूचनार्थ।

(जे.सी. भट्ट)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
वास्ते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

No. 464/INST/2008/EPS

Date: 23.7.2008

To

1. The Chief Secretaries of all States and UTs.
2. The Chief Electoral Officers of all States and UTs.

Subject : Instructions for polling personnel while on duty in polling station during the poll hours.

Sir/Madam,

The Commission has issued instructions from time to time on the issue of managing events at the polling station on the poll day. The Handbook for Presiding Officers and the instructions issued from time to time by the Election Commission contain various aspects of regulation of entry and arrangement in the polling station.

It has been brought to the notice of the Commission that there have been some isolated events in which the Presiding Officer and other polling officers have not handled the events at the polling station in a proper manner when some VIPs and other glamorous personalities came to exercise their franchise.

It is relevant to note that VIPs and glamorous personalities such as cine-actor and actress, Cricketers and other sports personalities come to the polling station as a voter to exercise their franchise. It is expected that the presence of such personalities should not unduly create any hindrance in the exercise of voting rights by other voters. At the relevant point of time there may be infirm, old and sick electors waiting for their turn to exercise franchise. In such occasions, the Presiding Officer and other polling staff should perform their duties professionally and regulate the events at the polling station in a proper manner. They should not show any excitement and get overwhelmed by the personality and stature of the voter which may invite criticism from other voters. They should continue to perform their duties in an objective manner so as to ensure smooth conduct and order at the polling station without causing any inconvenience to the other voters standing in the queue.

This may be brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

(SHANGARA RAM)
Principal Secretary

12/8
2/08/08

Send copies
of all calls
concerning

[Handwritten signature]

31/07/2008
2/08/08

Dy CEO

1/8
30/07/08
for circulation

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

पत्र सं०-464/आई.एन.एस.टी/2008/ई.पी.एस

दिनांक: 23 जुलाई, 2008

सेवा में,

1. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव,
2. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषय :- मतदान के समय के दौरान ड्यूटी पर तैनात मतदान कार्मिकों के लिए अनुदेश ।

महोदय/महोदया,

निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन मतदान-केन्द्र पर होने वाली घटनाओं के प्रबंधन के मुद्दे पर समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं । पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका तथा निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों में मतदान केन्द्र में प्रवेश तथा व्यवस्था के नियंत्रण के विभिन्न पक्ष समाविष्ट होते हैं ।

यह आयोग के ध्यान में लाया गया है कि कुछेक ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुछ अतिविशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोगों के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्र पर आने के समय, पीठासीन अधिकारी तथा अन्य मतदान अधिकारियों ने मतदान केन्द्र पर होने वाली घटनाओं को समुचित ढंग से नहीं संभाला ।

यह नोट किया जाना सुसंगत है कि अतिविशिष्ट व्यक्ति तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग जैसे - सिनेमा के अभिनेता व अभिनेत्री, क्रिकेट खिलाड़ी तथा अन्य खेलों से जुड़े लोग मतदान केन्द्र पर एक मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करने आते हैं । यह प्रत्याशित है कि ऐसे व्यक्तित्वों की उपस्थिति से अन्य मतदाताओं के मत देने के अधिकारों के प्रयोग करने में किसी प्रकार का अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए । उस प्रासंगिक क्षण पर वहां अशक्त, वृद्ध तथा बीमार निर्वाचक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे होंगे । ऐसे मौकों पर पीठासीन अधिकारी तथा अन्य मतदान कर्मियों को पेशेवर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए तथा मतदान केन्द्र पर होने वाली घटनाओं पर सुसंगत ढंग से नियंत्रण रखना चाहिए । उन्हें किसी मतदाता के व्यक्तित्व तथा

सहता द्वारा उत्तेजना या अति उत्साह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जिससे कि अन्य मतदाता उसकी आलोचना करें। उन्हें पंक्ति में खड़े अन्य मतदाओं के लिए किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न करते हुए मतदान केन्द्र पर निर्विध्न संचालन तथा व्यवस्था बनाए रखने हेतु उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपनी ड्यूटी का निष्पादन करते रहना चाहिए।

इसे सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में लाया जाए।


भवदीय,




(शंगारा राम)


प्रधान सचिव


Send to all DEES



2
AUG 2008




29/8






29/8